मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक एक (6)23/01/अडतालीस, भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2004

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल ।

विषयः– माननीय विधायकों को गृह निर्माण अथवा क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान ।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि बारहवीं विधान सभा के विधायक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर से गृह निर्माण अथवा क्रय हेतु रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) की सीमा तक ऋण ले सकेंगे, जिस पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन ब्याज अनुदान दिया जायेगा :–

(1) संबंधित बैंक ऋण देने के संबंध में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे तथा दिए गए ऋण पर प्रचलित दर पर ब्याज ले सकेंगे ।

(2) बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथमतः 4 प्रतिशत तक की राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी तथा शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी ।

(3) ऋण पर ब्याज अनुदान बाहरवीं विधान सभा की अवधि अथवा ऋण लेने वाले विधायक के कार्यकाल की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक दिया जा सकेगा । समय सीमा के बाद की किसी अवधि के लिये ब्याज अनुदान नहीं दिया जा सकेगा ।

(4) ब्याज अनुदान की पात्रता तभी होगी जबकि ऋण प्रकरण विधान सभा सचिवालय द्वारा संबंधित बैंक को अग्रेषित किया गया हो एवं ऋण राज्य शासन द्वारा बनाई गई आवास नीति तथा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुरूप दिया गया हो।

(5) पूर्व में गृह निर्माण/क्रय हेतु लिए गए ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में नया ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

(6) विधायक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की जिस शाखा से ऋण प्राप्त करेंगे उसमें बचत खाता खोलकर अपने वेतन एवं भत्तों को जमा करेंगे ताकि बैंक उस खाते से मासिक किश्त तथा ब्याज (ईएमआई)काट सकें ।

(7) समय सीमा के बाद की अवधि के लिए भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी विधायक की होगी ।

(8) विधायक जमा की गई किश्त एवं ब्याज अनुदान का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त कर विधान सभा सचिवालय को देंगे जिसके आधार पर ब्याज अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विधायक को की जाएगी ।

(9) यह सुविधा बारहवीं विधान सभा के गठन के दिनांक, अर्थात 6 दिसम्बर,03 से लागू होकर इसके कार्यकाल की समाप्ति तक होगी तथा ऋण पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने की पात्रता केवल एक बार होगी ।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय संख्या 28–2011–संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल (02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल(101) विधान सभा–4007–विधान सभा –42–सहायक अनुदान–007–अन्य शीर्ष में विकलनीय होगा ।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 915/1231/04/बी/8,दिनांक 12.10.2004 द्वारा प्रदान की गई है ।

4. इस विभाग का आदेश क्र1576/एक(6)12/48/97/सं.का., दिनांक 8 अगस्त, 97 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

मध्यप्रेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/
(नीरज दुबे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
संसदीय कार्य विभाग

प. क्रमांक (6)23/01/अडतालीस, भोपाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2004
प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुखसचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
(2) मुख्य महा–प्रबंधक,स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित । कृपया अधीनस्थ शाखाओं को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें ।
(3) समस्त शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
संसदीय कार्य विभाग